

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व इजलास
श्रीमती मुक्ता राव (आर.ए.एस.)

पूरणमल

बनाम

लालाराम वगै.

वाद पत्र बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकद्दमा नम्बर - दावा/21/2013

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती मुक्ता राव व हाजिरी वकील वादी
मिनजानिब मुद्ई रूबरू वकील प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म
दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार कर वादी का वाद विरुद्ध
प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता
है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में
अमल-दरामद करें।

निज मुबलिग बाबत
खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.09.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
ओहदा

मुद्ई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		00 00 00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

9.